

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2261]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2014/कार्तिक 16, 1936

No. 2261]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2014/KARTIKA 16, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2014

का.आ. **2833**(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 20 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

तालिका

(1)	(2)	(3)
"20	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 [किमी 212.000 से किमी 387.100 (हरियाणा/पंजाब सीमा से जालंधर) और	पंजाब राज्य
	किमी 407.100 से किमी 491.330 (जालंधर – अमृतसर – बाघा सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 10,	सरकार " ।
	सं. 15 [किमी 6.082 से किमी 108.502 (पठानकोट – अमृतसर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 20,	
	सं. 21 [(किमी 0.000 से किमी 1.680 और किमी 6.800 से किमी 73.200 (चंडीगढ़/पंजाब सीमा –	

4394 GI/2014 (1)

कुराली – किरतपुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 22 [िकमी 10.890 से किमी 39.960 और किमी 39.860 से किमी 41.945 (जिरकपुर – पंजाब/हरियाणा सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 64, सं. 70, सं. 71, सं. 95 [िकमी 92.000 से किमी 170.000 (लुधियाना - तलवंडी) तक खंड को छोड़कर], नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 154ए, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 503 वि., नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 703 और नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 703ए के उतने भाग जो पंजाब राज्य में अवस्थित हैं।

[फा. सं. एनएच-14013/18/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडबी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार सं. का.आ. 2596 (अ), 8 अक्टूबर, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2014

S.O. 2833(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 20 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: —

TABLE

(1)	(2)	(3)
"20	So much of National Highways No.1 [excluding from Km. 212.000 to Km. 387.100	State
	(Haryana/Punjab Border to Jalandhar) and from Km. 407.100 to Km. 491.330 (Jalandhar-	Government
	Amritsar -Wagah Border)], No.10, No.15 [excluding from km. 6.082 to km. 108.502 (Pathankot–	of Punjab".
	Amritsar section)], No.20, No.21 [excluding from Km. 0.000 to Km. 1.680 and from Km. 6.800 to	
	Km. 73.200 (Chandigarh/Punjab border-Kurali-Kiratpur)], No.22 [excluding from Km. 10.890 to	
	Km. 39.960 and from Km. 39.860 to Km. 41.945 (Zirakpur-Punjab/Haryana Border)], No. 64,	
	No. 70, No. 71, No.95 [excluding from km. 92.000 to km. 170.000 (Ludhiana-Talwandi)], New NH	
	No. 3, new NH No. 154A, New NH No. 503 Extn, new NH No. 703 and new NH No. 703A as are	
	situated within the State of Punjab.	
	, and the second	

[F. No. NH-14013/18/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note: The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 2596(E), dated the 8th October, 2014.